राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021—22/498 दिनांक—11/11/2021

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः— माह अक्टूबर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माह अक्टूबर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रसारित शिविरा पंचांग के अनुसार माह अक्टूबर, 2021 में 20 कार्य दिवस निर्धारित किये गये है। इस अवधि में विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

वित्त वर्ष 2021—22 के तृतीय त्रैमास के लिये खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। उक्त खाद्यान्न का निर्धारित सम्यावधि में FCI के गौदाम से उठाव कर विद्यालयों तक वितरण किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी को निर्देशित करने का श्रम करें ताकि विद्यालयों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021—22/498 दिनांक 11/11/2021

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि तृतीय त्रैमास के खाद्यान्न का शीघ्र उठाव कर विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अति. आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील